फा.सं. 11017/5/2020-राजभाषा (ई-20058)

भारत सरकार

पशुपालन और डेयरी विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

*****

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11.09.2025

विषय: पशुपालन और डेयरी विभाग में हिंदी पखवाड़ा (दिनांक 14-28 सितंबर, 2025) के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन।

पशुपालन और डेयरी विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रति कार्मिकों की रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2025 तक **'हिन्दी पखवाड़ा'** मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी:-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	तिथि व समय	स्थान
1.	निबंध प्रतियोगिता	18.09.2025 पूर्वाह्न 11 बजे	कक्ष सं. 243, कृषि भवन
2.	श्रुतलेखन प्रतियोगिता	18.09.2025 अपराह्न 2.30 बजे	कक्ष सं. 243, कृषि भवन
3.	वाद-विवाद प्रतियोगिता	19.09.2025 पूर्वाह्न 11 बजे	कक्ष सं. 243, कृषि भवन
4.	राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता	22.09.2025 अपराह्न 2.30 बजे	कक्ष सं. 243, कृषि भवन
5.	काव्य पाठ प्रतियोगिता	23.09.2025 पूर्वाह्न 11 बजे	कक्ष सं. 243, कृषि भवन

2. उपर्युक्त हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

क्र.सं.	पुरस्कार और संख्या	पुरस्कार राशि
1.	प्रथम पुरस्कार	**5000/- रुपये**
2.	द्वितीय पुरस्कार	**4000/- रुपये**
3.	तृतीय पुरस्कार	**3000/- रुपये**
4.	प्रोत्साहन पुरस्कार (02)	**2000/- रुपये (प्रति विजेता)**

3. प्रतियोगिताओं से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें **अनुबंध** में दी गई हैं।

4. प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपना **नामांकन** (नाम, पदनाम, भाग लेने वाली प्रतियोगिता का नाम और मोबाइल नंबर) **दिनांक 16.09.2025 को 5 बजे** तक ईमेल swati.melti@dahd.nic.in पर भेज दें या राजभाषा अनुभाग, **कमरा सं. - 557** में भिजवा दें या **9650949887** पर वॉट्सऐप कर दें।
सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि

11/9/25

(स्वाति मेल्टी)
उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,
विभाग के सभी /अधिकारी/कर्मचारी/अनुभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव (एएचडी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. अपर सचिव (सीडीडी) के प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव(एलएच) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (एनएलएम) के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव
6. सलाहकार (सांख्यिकी) के प्रधान निजी सचिव
7. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट और ई-ऑफिस पर अपलोड करने हेतु।

अनुबंध

हिंदी पखवाड़ा 2025 के दौरान विभाग में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के सामान्य नियम और शर्तें :-

हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2025

1. प्रतियोगिता की अवधि **एक घण्टे** की होगी और निबंध **750-1000** शब्दों का होना चाहिए।
2. दो सदस्यों की समिति द्वारा निबंध के विषय तय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं -
   i. **भाषा में गिरता शिष्टाचार**
   ii. **राष्ट्र की अस्मिता ऑपरेशन सिंदूर**
   iii. **उड़ जाएगा हंस अकेला**

   किसी भी **एक विषय पर** निबंध लिखना है।
3. यह समिति निबंध की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके विजेताओं का निर्णय भी करेगी।
4. निबंध के **कुल अंक 100** होंगे। इसमें विषय की समझ के 30 अंक, प्रस्तावना के 10 अंक, उपसंहार के 10 अंक, उद्धहरण और सटीक आंकड़ों के 20 अंक, लेखन शैली के लिए 20 अंक और स्वच्छ हस्तलेखन के 10 अंक होंगे। इन पैमानों के आधार पर यह समिति निबंधों की जांच करेगी और अंकों का निर्धारण करेगी। समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

श्रुतलेखन प्रतियोगिता, 2025

1. इस प्रतियोगिता में केवल एमटीएस और आउटसोर्स स्टाफ (डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यकारी सहायक/ईए) भाग ले सकेंगे।
2. दो सदस्यों की समिति प्रश्न पत्र का निर्धारण और प्रतियोगिता के विजेताओं का निर्णय करेगी।
3. प्रतियोगिता 100 अंक की होगी। 50 अंक शब्दों के और 50 अंक गद्यांश के होंगे।

राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता, 2025

1. इस प्रतियोगिता में राजभाषा के संवैधानिक इतिहास, अधिनियमों और नियमों के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के वस्तुनिष्ट प्रश्न भी दिए जाएंगे।
2. कुल 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह प्रतियोगिता 50 अंक की होगी।
3. दो सदस्यों की समिति प्रश्न-पत्र तैयार करेगी और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगी।

वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2025

1. वाद-विवाद प्रतियोगिता में तीन सदस्यों का निर्णायक मंडल होगा।
2. वाद-विवाद प्रतियोगिता कुल 100 अंक की होगी। प्रतिभागियों की प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, विषय की समझ, तथ्यों की सटीकता आदि के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

3. वाद-विवाद का विषय प्रतियोगिता से पहले दे दिया जाएगा।
4. प्रत्येक प्रतिभागी को वाद-विवाद के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा। दो मिनट के बाद सांकेतिक ध्वनि बजाई जाएगी। उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर तीन सदस्यों का निर्णायक मंडल विजेताओं का निर्णय करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा।

हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, 2025

1. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी द्वारा स्वरचित (मौलिक) कविता या किसी कवि की रचना पढ़ी जा सकती है।
2. इस प्रतियोगिता में तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल होगा जो विजेताओं का निर्णय करेगा।
3. काव्य पाठ के कुल 25 अंक होंगे। इसका विवरण इस प्रकार है:-
   i. काव्य पाठ - 7 अंक
   ii. शैली - 6 अंक
   iii. अभिव्यक्ति - 5 अंक
   iv. समग्र प्रस्तुति - 5 अंक
   v. स्वरचित (मौलिक) रचना - 2 अंक
   कुल अंक - 25
4. प्रत्येक प्रतिभागी को काव्य पाठ के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा। दो मिनट के बाद सांकेतिक ध्वनि बजाई जाएगी। उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर तीन सदस्यों का निर्णायक मंडल विजेताओं का निर्णय करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा।

प्रतियोगिता संबंधी अन्य नियम

(i) गत वर्षों की तरह यह भी प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों का पात्र हो जाता है तो उसे केवल उनमें से सर्वोत्तम एक पुरस्कार ही दिया जाएगा। इसका औचित्य यह है कि प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भाग लें और अधिक से अधिक कार्मिकों को पुरस्कारों का लाभ मिले सके।

(ii) **हिंदीतर भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त अंकों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ (वेटेज) भी दिया जाएगा, ताकि प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक हिंदीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के लिए प्रेरित हो सकें।**

*प्रतियोगिता के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उप निदेशक (रा.भा.) से दूरभाष संख्या 011-23070319, इंटरकॉम 4657 पर संपर्क किया जा सकता है।